



बिहार सरकार

फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - सुल्तानगंज

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2025/779292

दिनांक : 03/04/2025

प्रमाणित किया जाता है कि Banti Kumar(Banti Kumar), पिता-बिपिन यादव(Bipin Yadav), माता-प्रमिला देवी(Pramila Devi), ग्राम/मोहल्ला-श्रीरामपुर, पोस्ट-अकबरनगर, थाना- अकबरनगर, प्रखंड-सुल्तानगंज, अनुमंडल-भागलपुर, जिला-भागलपुर, राज्य बिहार यादव , खाला समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 22 पर अंकित है। अतः Banti Kumar, पुत्र- बिपिन यादव, माता-प्रमिला देवी पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : सुल्तानगंज
दिनांक : 03/04/2025



Digitally signed by SHALINI KUMARI
Date 2025.04.03 05:33:16 +05:30

राजस्व अधिकारी सुल्तानगंज
(हस्ताक्षर)

QR Code की जोड़ <https://serviceonline.bihar.gov.in> पर और या Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से की।
नोट: यह एक डिजिटल साइन है।